न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पंडरिया, जिला – कबीरधाम (छ0ग0)

प्ररूप–ड.

(नियम 7 (2)देखिये)

अनुमति

रा.प्र.क./ई–कोर्ट क्रं. **202501081100031/**

अ–62 वर्ष 2024–25

ग्राम–मुजनूकांपा

दिनांक–17.03.2025

प्रति,

लोकसिंह आ0 श्री भानसिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति क्षत्रिय,

निवासी ग्राम मुजनूकांपा, प.ह.न. 45, तहसील पण्डरिया,

जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषयः– वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

---00---

विषयांन्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 15.07.2024 मे आवेदक लोकसिंह आ0 श्री भानसिंह वगै0, जाति क्षत्रिय, निवास ग्राम मुजनूकांपा, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम के नाम पर ग्राम मुजनूकांपा प.ह.नं. 45 तहसील पण्डरिया में स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि ख.न. 2/2 रकबा 0.162हे. पर स्थित 02 नग सागौन वृक्ष जो अत्यधिक वर्षा और आंधी तूफान के कारण उखडकर गिर जाने से उक्त वृक्ष को कटाई की अनुमति हेतु बी1, नक्शा, खसरा सहित आवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया, निर्धारित समयावधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर राजस्व निरीक्षक व वन परिक्षेत्राधिकारी पण्डरिया से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आवेदक का न्यायालयीन कथन लिया गया।

राजस्व निरीक्षक व वन परिक्षेत्राधिकारी पण्डरिया के द्वारा प्रतिवेदनमय पंचनामा में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित ख0नं0 2/2 रकबा 0.162हे. भूमि आवेदक के संयुक्त खाते की भूमिस्वामी हक की भूमि है। आवेदित भूमि का स्थल जांच दिनांक 14.10.2024 को आवेदक, ग्रामवासी, ग्राम कोटवार, चैनमेन, हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्राधिकारी पण्डरियाकी उपस्थिति में किया गया। आवेदित खसरा नं. 2/2 रकबा 0.162हे. भूमि पर स्थित 02 नग सागौन वृक्ष गिर गया है के संबंध में आवेदक द्वारा बताया गया कि आवेदित वृक्ष विगत वर्ष लगभग 15 वर्ष पूर्व लगाया गया था जो अत्यधिक वर्षा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पण्डरिया,जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

एवं आंधी तुफान के कारण गिर गया है। दो नग वृक्ष कमंशः 12 मीटर लम्बाई एवं छाती गोलाई 60 से.मी., 30 मीटर लम्बाई एवं छाती गोलाई 90 से.मी. है जो काटने योग्य है, प्रतिवेदित कर पंचनामामय संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन मे उल्लेखित तथ्यो का सत्यापन किया गया। राजस्व निरीक्षक व वन परिक्षेत्राधिकारी पण्डरिया के प्रतिवेदन मे मौका पर कटाई हेतु प्रतिवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है।

क.	काश्त काबिज भूमि का खसरा/रकबा	प्रजाति	वृक्ष की लम्बाई	वृक्ष की छाती गोलाई	रिमार्क
1.	2/2 रकबा 0.162 हे0	सागौन	12 मीटर	60 से.मी.	अत्यधिक वर्षा व आंधी तूफान में गिरन से –काटने योग्य
2	2/2 रकबा 0.162 हे0	सागौन	30 मीटर	90 से.मी.	अत्यधिक वर्षा व आंधी तूफान में गिरन से –काटने योग्य

उपरोक्त राजस्व निरीक्षक व वन परिक्षेत्राधिकारी पण्डरिया के स्थल निरीक्षण के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि भूमि खसरा नं. 2/2 रकबा 0.162हे. ग्राम मुजनूकांपा प.ह.न. 45, तहसील पण्डरिया स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन कुल 02 नग वृक्ष है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबन्धो का उल्लंघन नही हो रहा है। साथ ही राजस्व निरीक्षक व वन परिक्षेत्राधिकारी अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उक्त भूमि पर स्थित वृक्ष को काटने योग्य होना प्रतिवेदित किया है। अतः भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. खसरा नं. 2/2 रकबा 0.162हे. मे स्थित 02 नग सागौन वृक्ष को कटाई करने की निम्न शर्तो के अधीन अनुमति छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 241 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार अभिव्यक्त की जाती है।

1. रोपित वृक्षो की कटाईः– (1) **<u>भूमि स्वामी द्वारा लिखित मे इच्छा व्यक्त किए जाने</u>** पर उसके खाते मे कृषि के रूप मे रोपित वृक्षो की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन वनमण्डाधिकारी वृक्षो की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्र्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मुल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते मे निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते मे जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या मे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जावेगा। वन विभाग द्वारा न्युनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जायेगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से कलेक्टर को दी जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पण्डरिया,जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

(2) वृक्षो की कटाई हल्का पटवारी की उपस्थिति मे की जाये, जिससे आस–पास की शासकीय भूमि मे स्थित वृक्षो की अवैध कटाई न हो, सिर्फ आवेदक की भूमि मे स्थित उपर दर्शित वृक्षो की कटाई की जावे।

2. आवेदक द्वारा विदोहन के बराबर वृक्ष रोपण करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक ग्राम पंचायत में वृक्ष रोपण निधी में नियमानुसार राशि जमा कर रशीद प्रस्तुत करने पर वृक्ष कटाई करने की अनुमति प्राप्त होगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन्. 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुमति शुन्य होगी।

यह अनुमति आदेश दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पंडरिया

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पण्डरिया जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/577/रीडर–1/अ.वि.अ./2025

पंडरिया दिनांक 17.03.2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार पण्डरिया को सूचनार्थ।
5. पटवारी हल्का नं. 45, मुजनूकांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पंडरिया

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पण्डरिया जिला–कबीरधाम (छ.ग.)